न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम :– काना राम, आई. ए. एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–18/2024

आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, श्री गंगानगर जरिये प्राधिकृत/मुख्य प्रबन्धक। –प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गोविन्दराम, निवास पता–वार्ड नं. 16, फेफाना (1केएनएन) तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ व निवास पता 2 रेलवे फाटक, कॉलेज गेट नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। –(ऋणी)

2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवास पता–वार्ड नं. 16 1 गांव फैफाना तहसील नौहर जिला हनूमानगढ़। –(सहऋणी)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांकः– 27.11.2024

प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, श्री गंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई एडवोकेट उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैक के एडवोकेट ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण **श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गोविन्दराम व श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री ओमप्रकाश** को दिनांक 10.11.2021 को रू **3,00,000/– 30,000/–व 6,70,000/–** मात्र का ऋण स्वीकृत किया था। ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चो के अदा करने की गारन्टी के रूप में अपनी अचल सम्पति मकान पट्टा नं. 01, वार्ड नं. 16 गांव फेफाना तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़(राज.) में स्थित भूमि व निर्मित भवन क्षैत्रफल 1807.406 वर्ग गज है, जिसके आसा पासा उत्तर में टिक्कूदन दक्षिण में रोड़ व रामप्रताप पुर्व में लालवन्त व रामप्रताप पश्चित में रोड़ मालिक लक्ष्मी देवी है। जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निस्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक/दृष्टिबंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने मे असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 03.08.2023 को गैर–निस्पादनीय आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

ऋणी के ऋण एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राथी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 14.08.2023 को दिया गया है। ऋण राशि 3,00,000/– 30,000/–व 6,70,,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था जो कि कुल 10,00,000/–(अक्षरे दस लाख मात्र) है प्राथी कम्पनी, अप्रार्थीगण ऋणी से ऋण खाता संख्या LHGAN00001402727, LHGAN00001402728 व LHGAN00001402729, में बकाया 3,17,229/– 37,584/–व 6,79,325/– कुल 10,34,138/–(अक्षरे दस लाख चौबीस हजार एक सौ अडतीस रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज व खर्चे दिनांक 13.08.2023 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्राथी बैंक के एडवोकेट ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है और न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, श्री गंगानगर के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित एडवोकेट के कथनों पर मनन किया और पत्रवाली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा **आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, श्री गंगानगर** जरिये प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पत्ति मकान पट्टा नं. 01, वार्ड नं. 16 गांव फेफाना तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़(राज.) में स्थित भूमि व निर्मित भवन क्षैत्रफल 1807.406 वर्ग गज है, जिसके आसा पासा उत्तर में टिक्कूदन दक्षिण में रोड़ व रामप्रताप पुर्व में लालवन्त व रामप्रताप पश्चित में रोड़ मालिक लक्ष्मी देवी है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार अपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांकः–27·11·24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़।